of Delhi. [*Placed in Library. See* No. LT-2287/68].

(4) (i) copy of Notification No. St-3601/X-902(8)-65 (Hindi and English versions) published in Uttar Pradesh Gazette dated the 5th, August, 1968 making certain amendment to Notification No. ST-1022/X-902 (8)-65 dated the 1st April. 1968, under sub-section (3) of section 3-A of the U.P. Sales Tax Act, 1948, read with clause (c)(iv) of the Proclamation dated the 25th February, 1968, as varied by proclamation dated the 15th April, 1968, issued by the President in relation to the State of Uttar Pradesh.

(ii) A statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the above Notification.

[*Placed in Library. See* No. LT-2291/68].

PAPERS UNDER COMPANIES ACT, ETC.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : श्री रघुरमैया की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड मद्रास के 1 जुलाई 1967 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मद्रास का 1 जुलाई 1967 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि के लिये वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[*Placed in Library. See* No. LT-2281/68].

(2) मिट्टी का तेल (अधिकतम मूल्यों का निर्धारण) 8वां संशोधन आदेश 1968 की एक प्रति जो अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 28 सितम्बर 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1808 में प्रकाशित हुआ था।

[*Placed in Library. See* No. LT-2289/68].

PAPERS UNDER ARTICLE 323(1) OF THE CONSTITUTION

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) संघ लोक सेवा आयोग का 1 अप्रैल 1967 से 31 मार्च 1968 तक की अवधि के लिये 18 वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ऊपर के प्रतिवेदन के पैरा 32 में उल्लिखित मामलों में आयोग का परामर्श सरकार द्वारा स्वीकार न किये जाने के कारण बताने वाला